



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082026-275654
CG-DL-E-21082026-275654

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4442]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948

No. 4442]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2026

का.आ. 4623(अ).— केंद्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 3 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित दूरसंचार सेवाओं को अधिसूचित करती है, जिनके संबंध में प्राधिकृत इकाइयां, दूरसंचार (प्रयोक्ता पहचान) नियम, 2026 के अनुसार उन प्रयोक्ताओं की सत्यापन योग्य बायोमेट्रिक आधारित पहचान सुनिश्चित करेंगी, जिन्हें ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, अर्थात्:—

(क) वायरलेस एक्सेस सेवाएं और

(ख) मोबाइल उपयोगकर्ता टर्मिनल के माध्यम से इंटरनेट टेलीफोनी सेवा।

[फा. सं. 800-22/2024- ए.एस. II]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st August, 2026

S.O. 4623(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 3 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), the Central Government hereby notifies the following telecommunication services, in respect of which the authorised entities shall ensure verifiable biometric based identification of users to whom such services are provided, in accordance with the Telecommunications (User Identification) Rules, 2026, namely:—

- (a) wireless access services; and
- (b) internet telephony service through mobile user terminals.

[F. No. 800-22/2024-AS.II]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.